।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक : स्था./एच.ओ./III/प्रहरी भर्ती/2015/39528 दिनांक : 29.10.2015

–:: विज्ञप्ति ::–

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत कारागार विभाग के निम्न मण्डलों एवं अनुसूचित क्षेत्र में प्रहरियों के 925 रिक्त पदों पर मण्डलवार भर्ती हेतु योग्य अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र (**Online application form**) *आमंत्रित किये जाते हैं। यह आवेदन पत्र* (**Online**) *स्वयं आवेदक द्वारा अथवा समस्त ई–मित्र कियोस्क पर दिनांक* ***03.11.2015 से 02.12.2015*** *तक भरे जा सकते हैं।*

आवेदन के संबंध में सहायता हेतु सहायता केन्द्र के मोबाईल नम्बर 08097744255 पर प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

1. मण्डलवार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

मण्डलवार संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना की गई है जो निम्नानुसार है। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशानुसार किया गया है। आवश्यकता होने पर विभाग विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है जिसके लिये पृथक से विज्ञप्ति जारी नही की जावेगीः–

क.सं.	पदों का विवरण	जयपुर	जोधपुर	उदयपुर	कोटा	बीकानेर	अजमेर	अनुसूचित क्षेत्र (टी.एस.पी. एरिया)	योग
1	अनुसूचित जाति	47	13	05	30	31	08	–	134
2	अनुसूचित जनजाति	04	11	–	25	22	10	12	84
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	47	17	–	35	28	28	–	155
4	विशेष पिछड़ा वर्ग	11	05	02	10	07	06	–	41
5	सहरिया	–	–	–	01	–	–	–	01
6	अनारक्षित (सामान्य)	116	54	49	99	57	83	52	510
	योग –	**225**	**100**	**56**	**200**	**145**	**135**	**64**	**925**

2. आवेदन प्रक्रिया –

(i.) *भर्ती हेतु आवेदन* **Online application form** *में लिये जायेंगे जिन्हें राज्य में निर्धारित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये 25/– (रूपये 20/– आवेदन पत्र भरने + रूपये 05/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं के स्तर से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहता है, तो वह ई–मित्र कियोस्क पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर अथवा ई मित्र की वेबसाईट पर ऑन लाईन जमा करवा कर वेबसाइट* **www.rajprisons.in** *के माध्यम से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रूपये 05/– ही सेवा शुल्क देना होगा। स्वयं आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन शुल्क जमा कराने एवं आवेदन करने पर उपरोक्त शुल्क देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन–पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। हाथ से भरे गये आवेदन पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नही किये जायेंगे।*

(ii.) परीक्षा शुल्क व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित शुल्क राशि ई–मित्र कियोस्क पर केवल नकद राशि के रूप में स्वीकार की जावेगी अथवा ई मित्र की वेबसाईड **www.emitra.gov.in** पर ऑन लाईन जमा करवा सकता है।

(iii.) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज (4.5x3.5) फोटो ई–मित्र कियोस्क पर लाए। ई–मित्र कियोस्क पर अभ्यर्थी के लिए वैब कैमरे से फोटो खींचने की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसके लिये आवेदक को रूपये 05/– अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

(iv.) अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक **(Application ID)** आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नही हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नही हुआ है।

(v.) अभ्यर्थी को टोकन नम्बर एवं आवेदन आईडी सुलभ रखना अनिवार्य होगा जिससे कि भविष्य में वह अपने आवेदन प्रवेश पत्र तथा परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सके।

नोट–

(1). ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप वैबसाइट **www.rajprisons.in** से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क पर भी निःशुल्क उपलब्ध होगा।

(2). आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अन्तिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिन्ट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं।

(3). आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क की सूची वेबसाइट . **www.emitra.gov.in** पर उपलब्ध है।

(4). **Online Application Form** में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नही दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

(5). आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

3. आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक –

(i) ऑन लाईन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने की अन्तिम दिनांक 02.12.2015 है।

(ii) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। विभाग को विशेष परिस्थितियों में इनमें किसी भी दिनांक में संशोधन करने का अधिकार होगा।

4. परीक्षा शुल्क –

1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक जो राजस्थान के मूल निवासी है हेतु – रूपये 200/–

2) अन्य समस्त आवेदक हेतु – रूपये 250/–

(vi.) नोट– ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रूपये 25/– (रूपये 20/– आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 05/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप से आवेदकों को देने होंगे।

ई–मित्र कियोस्क पर अभ्यर्थी के लिए वैब कैमरे से फोटो खींचने की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसके लिये आवेदक को रूपये 05/– अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

5. *लिखित परीक्षा का आयोजन–*

(अ) *परीक्षा तिथि*

लिखित परीक्षा दिनांक 24.01.2016 को आयोजित की जायेगी। प्रशासनिक कारणों से उक्त तिथि को विभाग द्वारा बदला जा सकता है। लिखित परीक्षा की तिथि में संशोधन होने पर मण्डल मुख्यालयों से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों के स्थानीय अंको में तथा **www.rajprisons.in** *पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। आवेदक द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. द्वारा तथा दिये गये ई–मेल एड्रेस पर ई–मेल द्वारा भी सूचित किया जायेगा।*

(ब) *लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र*

विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र ऑनलाइन ही जारी किये जायेंगे और डाक से कोई प्रवेश–पत्र नही भेजा जायेगा। वैबसाइट पर प्रवेश–पत्र जारी किये जाने की सूचना लिखित परीक्षा की तिथि से 14 दिन (दो सप्ताह) पूर्व वैबसाइट के माध्यम से जारी की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वैबसाइट से प्राप्त (**Download**) *करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं पासवर्ड का उपयोग करेंगे । प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई–मेल आई.डी.* (E-mail ID) *एवं मोबाइल नम्बर पर भी भेजी जावेगी।*

6. *आरक्षण –*

(i) *विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30% आरक्षण क्षैतिज* (Horizontal) *रूप से प्रवर्गानुसार* (Category wise) *है। महिला अथ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।*

(ii) *राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–7 (2) डीओपी/ ए–2/ 88/पार्ट–1 दिनांक 24.01.2011 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिये उपरोक्त 30% आरक्षण में से 8%विधवाओं के लिये और 2% विवाह विच्छिन (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिये होगा।*

(iii) *किसी वर्ग विशेष में पात्र एवं उपयुक्त विधवाओं और विवाह विच्छिन महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में विधवाओं एवं विवाह विच्छिन अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। ऐसी रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणित नहीं की जायेगी।*

स्पष्टीकरण – *विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विवाह विच्छिन के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।*

(iv) *किसी वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/वि.पि.वर्ग/सहरिया) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।*

(v) *विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवं निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/वि.पि.वर्ग/सहरिया) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।*

(vi) *विज्ञापित पदों में 12.5% पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिको का आरक्षण क्षैतिज* (Horizontal) *है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/वि.पि. वर्ग/सहरिया का होगा उसी वर्ग में समायोजित किया जायेगा।*

(vii) *भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वालें आवेदकों को आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक सेवा से सेवानिवृत होना आवश्यक है। प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चरित्र राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम, 1988 के नियम 7 में अंकितानुसार 'अच्छा' होना चाहिये। भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली पदों को अनारक्षित मानते हुये संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।*

(viii) *भूतपूर्व सैनिक उसी अभ्यर्थी को माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 के नियम 3 (क) के अन्तर्गत परिभाषित हैं।*

(ix) *रिक्त पदों में से 2% पद राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 11 के प्रावधान अन्तर्गत उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण अनु.जाति/अनु. जनजाति/ओबीसी/वि.पि.वर्ग हेतु निर्धारित आरक्षण सीमा के भीतर ही समायोजित होगा। पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ये पद संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।*

स्पष्टीकरण– *उत्कृष्ट खिलाडियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाडी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय औलम्पिक समिति और भारतीय औलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में, प्रत्येक वर्ग के लिये निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :–*

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेश खेलों या औलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आईटम) या उसकी टीम (टीम स्पर्धा) ने प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी क्षेत्र) के लिए उत्कर्ष खिलाडियों के संबंध में स्पष्टीकरण :– *उत्कृष्ट खिलाडियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाडी जिन्होंने 1. इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।*

या

2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फैडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गैम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

3. इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता है।

या

4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोशिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के आल इण्डिया इन्टरयूनिवर्सिटी टूर्नामेन्ट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

(x) *अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार अनारक्षित पदों पर भर्ती की प्रक्रियानुसार भरा जायेगा।*

(xi) *विशेष पिछडा वर्ग के लिये 5 प्रतिशत आरक्षण की गणना कार्मिक विभाग के आदेश कमांक प. 7(2)कार्मिक/क–2/2015/पार्ट–I दिनांक 16.10.2015 के प्रावधानानुसार की गई है एवं अभ्यर्थियों को लाभ भी इस अधिसूचना के अन्तर्गत देय होगा।*

(xii) *बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के स्थानीय सहरिया आदिम जाति हेतु 25% पद आरक्षित हैं।*

(xiii) *राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की तरह माना जायेगा।*

(xiv) *कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र कमांक प.2(1)कार्मिक/क–2/2014 पार्ट दिनांक 12.05.15 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए केवल अनुसूचित क्षेत्र (जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल/गढी/बांसवाड़ा/बागीदोरा/कुशलगढ, जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर/आसपुर/सागवाड़ा/सीमलवाड़ा, जिला उदयपुर की तहसील गौगुन्दा/गिर्वा/कोटड़ा/झाडौल/लसाड़िया/सलूम्बर/सराड़ा/ऋषभदेव/खैरवाड़ा, जिला प्रतापगढ की तहसील धरियावद/पीपलखूंट/अरनोद/प्रतापगढ, जिला सिरोही की तहसील आबूरोड़) के निवासी ही पात्र होंगे।*

7. <u>वेतनमान और पेंशन –</u>

वेतनमान पी.बी.–I 5200–20200 ग्रेड पे – 1900

*प्रहरी पद पर नियुक्ति के उपरान्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को परिवीक्षा काल में वित विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.12(6)एफ.डी./(रूल्स)/05 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार मासिक नियत पारिश्रमिक **(Fixed Remuneration)** 7400 रूपये देय होगा।*

चयनित/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश लागू होंगे।

8. नियुक्ति के लिये अयोग्यता –

(i) *ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।*

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि दिनांक 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वात्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जायेगी।

(ii) *राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वान्छनीय होगा।*

(iii) *किसी भी विवाहित/विवाहिता अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसके विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया हो।*

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)

(iv) आवेदक के एक से अधिक जीवित पत्नी/पति होने पर वह नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई छूट नहीं दी गई हो।

(v) भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा में छुट का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक नियमानुसार सेवा से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है अन्यथा उसे आयु सीमा में लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नही होगा।

(vi) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नही करें।

9. शैक्षणिक योग्यता –

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकेण्डरी, दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान एव राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

10. दृष्टि – सभी अभ्यर्थियों के लिए दृष्टि संबंधी मानदण्ड निम्न हैं –

टूक शक्ति	बिना चश्मे के		चश्मे सहित	
	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि
दूर की	6/6	6/60	6/6	6/13
निकट की	जे 5	जे 5	जे 1	जे 1

टिप्पणी– (1) निकट दृष्टि 5 डी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) मौलिक रंगों में विभेद न कर पाना और/या रात्रि का अन्धापन (रतौंधी) यदि हो तो अनर्हता समझी जावेगी।

(3) किसी भी रूप में स्पष्ट भैंगापन होने से अभ्यर्थी अनर्ह हो जायेगा।

11. आयु – अभ्यर्थी 01.01.2016 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए परन्तु 26 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए, किन्तु –

(i) (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/वि.पि.वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।

(ii) पंचायत समितियों और जिला परिषदों एवं राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में अधिष्ठायी **(Substantive)** रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(iii) राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में अधिष्ठायी **(Substantive)** रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(iv) भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(v) विधवा और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण–विधवा अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थी को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(vi) *उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोष सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी* ***(Substantive)*** *तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।*

(vii) *उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दोषसिद्ध से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था उपरिवर्णित आयु सीमा में उसके द्वारा भुगत कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।*

नोट–उपरोक्त पैरा 11 के प्रावधानों में वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान ***"Non Cumulative"*** *है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।*

उदाहरणार्थ–यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के संस्थायी कर्मचारी के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के संस्थायी कर्मचारी होने के कारण 40 वर्ष तक पात्र माना जायेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण 5 वर्ष का अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा।

12. राष्ट्रीयता – *सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह –*

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या
(ङ.) भारतीय उद्भव का कोई व्यक्ति हो जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनियां, युगाण्डा तथा तन्जानिया गणतंत्र (पूर्व वर्ती टांगानिका और जंजीवार) जाम्बिया, मलावी,जेरे तथा इथ्योपिया से आया हो।

(1) (ख) (ग) (घ) और (ड़) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया हो।

13. चरित्र –

आवेदक के चरित्र के संबंध में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 का नियम 17 लागू होगा।

14. प्रमाण पत्र –

चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति मय एक स्वः प्रमाणित छायाप्रति के प्रस्तुत करनी होंगी –

(i) *समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।*
(ii) *आयु प्रमाण पत्र।*
(iii) *अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/वि.पि.वर्ग/ सहरिया से संबंधित है तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।*
(iv) *यदि आवेदक राज्य कर्मचारी है तो नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।*
(v) *अन्तिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र, एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से पुराने नहीं हों।*
(vi) *भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी होने की स्थिति में प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र/पेंशनर होने का प्रमाण पत्र।*
(vii) *यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.5(31)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 23.09.1997 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर खेल–कूद में प्रतिनिधित्व कर चुका है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र।*
(viii) *अनुसूचित क्षेत्र का निवासी है तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया अनुसूचित क्षेत्र निवासी प्रमाण पत्र ।*

15. ***चयन प्रक्रिया –***

प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिये निर्धारित 500 अंकों का विभाजन निम्नानुसार है –

क्र.सं.	परीक्षा का चरण	अंक
1.	लिखित परीक्षा	400
2.	शारीरिक दक्षता परीक्षा	100
	योग	500

(1). ***लिखित परीक्षा –***

(i) कारागार विभाग द्वारा निर्धारित तिथि एवं परीक्षा केन्द्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसकी अवधि 2 घण्टे की होगी।

(ii) अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को सम्बन्धित मण्डल में निर्धारित स्थान पर आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा की तिथि समाचार पत्रों/वैबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

(iii) लिखित परीक्षा तीन भागों में वस्तुनिष्ठ **(objective type)** प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा का भाग 'अ' 'विवेचना एवं तार्किक योग्यता' के प्रश्नों से संबंधित 180 अंक का, भाग 'ब' सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर 100 अंक का तथा भाग 'स' 'राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि विषयों पर आधारित 120 अंक का होगा।

(iv) प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा एवं किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जायेगा।

(v) लिखित परीक्षा के सभी भागों के अंक अन्तिम चयन के लिये सम्मिलित किये जायेंगे।

(vi) लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम 36% अंक उत्तीर्णांक के रूप में निर्धारित हैं।

(vii) लिखित परीक्षा की सूचना एवं परिणाम वैबसाइट **www.rajprisons.in** पर देखी जा सकेगी एवं संबंधित मण्डल कारागृहों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जायेगी।

(viii) लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर परीक्षा के द्वितीय चरण (शारीरिक मापतौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा) के लिये पात्र अभ्यर्थियों की सूची तथा शारीरिक मापतौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के कार्यक्रम की सूचना **www.rajprisons.in** पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस सूचना की **www.rajprisons.in** पर उपलब्धता की जानकारी संबंधित मण्डल मुख्यालय के नगर से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण में प्रकाशित की जायेगी।

(ix) शारीरिक माप तौल एवं शारीरिक दक्षता के लिये पात्र अभ्यर्थियों को जिनके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. द्वारा तथा दिये गये ई–मेल एड्रेस पर ई–मेल द्वारा भी सूचित किया जायेगा। पात्र अभ्यर्थियों को **www.rajprisons.in** पर प्रकाशित कार्यक्रम अनुसार उक्त परीक्षा में भाग लेना आवश्यक है। उक्त परीक्षा में उपस्थित होने के लिये उसके पास पहचान के लिये लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र, मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल शिक्षा प्रमाण पत्र आदि मूल पत्रादि साथ लाने आवश्यक है।

(2). ***शारीरिक मापतौल –***

प्रत्येक मण्ड़ल में विज्ञापित वर्गवार पदों के विरूद्ध लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको की वरीयता के आधार पर दस गुना अभ्यर्थी नियमानुसार शारीरिक मापतौल एवं दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किये जायेंगे। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.03.2014 के अन्तर्गत यदि किसी अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति/अन्य

पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग कि अभ्यर्थी ने उन प्रवर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध आयु या फीस संबंधी रियायतों में से किसी का भी लाभ उठाया है और वह सामान्य वर्ग के ऐसे अंतिम अभ्यर्थी से, जो चयनित हुआ है, से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो भी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के ऐसे अभ्यर्थी का चयन यथा स्थिति अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध नहीं किया जाकर सामान्य प्रवर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध किया जावेगा तथापि यदि अ.जा./अ.ज. जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों ने संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया के दौरान आयु एवं फीस की रियायतों के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ उठाया हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का चयन सामान्य वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध नहीं किया जाकर अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. /वि.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध किया जायेगा।

पुरूष अभ्यर्थी	ऊँचाई	न्यूनतम 168 सेमी.
	सीना	बिना फुलाए 81 सेमी. फुलाने पर 86 सेमी.
(सीने का कम से कम फुलाव 5 सेमी.)		

महिला अभ्यर्थी	ऊँचाई	न्यूनतम 152 सेमी.
	वजन	न्यूनतम 47.5 किग्रा

नोट– उपरोक्त वर्णित मानदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 सेमी. तक की छूट देय है। गढवाली, गोरखा एवं पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों की ऊँचाई 158 सेमी. से कम नहीं होनी चाहिए।

(3). ***शारीरिक दक्षता परीक्षा –***

स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा शारीरिक माप–तौल में नियमानुसार सफल घोषित अभ्यर्थियों की स्थाई आदेश संख्या 04/2011 के अनुसार निर्धारित 100 अंको की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्नानुसार ली जायेगी। निर्धारित अधिकतम समय तक दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में नियमानुसार Qualified घोषित किये जायेंगे –

	परीक्षा	निर्धारित समय
पुरूष अभ्यर्थी	10 कि.मी. दौड़	अधिकतम 60 मिनट में
महिला अभ्यर्थी	5 कि.मी. दौड़	अधिकतम 35 मिनट में

उक्त परीक्षा हेतु एक अवसर ही देय होगा।

भूतपूर्व सैनिक शारीरिक दक्षता परीक्षा से मुक्त रहेंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाईंग नेचर (Qualifying Nature) की होगी।

16. *चयन सूची –*

प्रहरी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक संवर्ग की अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी।

17. *स्वास्थ्य परीक्षण –*

मेडीकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाया गया अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्राप्त करने का पात्र होगा।

18. *प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन –*

चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा उनसे सत्यापन प्रपत्र भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। प्रमाण पत्रों की जाँच व चरित्र सत्यापन के उपरान्त नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

19. ***अन्य निर्देश –***

(i) प्रहरी पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को राजस्थान के किसी भी कारागृह/कार्यालय पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

(ii) अभ्यर्थी की परस्पर पदीय वरिष्ठता उसी मण्ड़ल में निर्धारित की जायेगी जिस मण्ड़ल के विज्ञापित पद के विरूद्ध उसे नियुक्ति प्रदान की गई हैं।

(iii) नियुक्ति उपरान्त चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार निर्धारित बन्ध पत्र **(Bond)** भरना होगा।

(iv) आवेदन पत्र में अंकित समस्त विवरण सही होना चाहिये। परीक्षा प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र में अंकित विवरण असत्य एवं नियमानुसार सही नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को तत्काल परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा। इसी प्रकार प्रहरी पद पर नियुक्ति के पश्चात यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा असत्य विवरण के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करना सामने आता है तो प्रहरी को नियमानुसार राज्य सेवा से निष्काषित कर उसके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(v) राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय संबंधित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(vi) परीक्षा के सभी चरणों के दौरान अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ अभ्यर्थी एवं गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग न लेने की सलाह दी जाती हैं।

(viii) परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनैतिक आचरण व अनुचित सामग्री का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जायेगा एवं उसके विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में अभियोग भी पंजीबद्ध कराया जायेगा।

(ix) आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(x) निरस्त किए गये आवेदन–पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी।

(xi) भर्ती प्रक्रिया सम्बन्धी महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर का स्थायी आदेश 4/2011 तथा यह विज्ञप्ति वैबसाइट **www.rajprisons.in** पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी सूचना भी वैबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

29/10/15

(अजीत सिंह)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः स्था. / सैटअप / प्रहरी नियुक्ति / 2011 / 18857 दिनांकः 6/9/11

:: स्थाई आदेश संख्या 04 / 2011 ::

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के पार्ट–4 के नियम 28(4)(1) के अन्तर्गत प्रहरी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में जारी स्थाई आदेश संख्या 1 / 98 दिनांक 10.12.1998 के अधिक्रमण में निम्न आदेश प्रसारित किया जाता है :–

पार्ट– I

लिखित परीक्षा

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के पार्ट–4 के नियम 26 के प्रावधानानुसार प्रहरी पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा 400 अंको की होगी जिसके लिये 2 घण्टे का समय निर्धारित किया जाता है। परीक्षा तीन भागों में वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकृति की होगी। परीक्षा का विषय एवं अंक विभाजन निम्नानुसार होगा –

भाग–अ	विवेचना एवं तार्किक योग्यता	180 अंक
भाग–ब	सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक	100 अंक
भाग–स	राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि	120 अंक

प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जायेगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 36% अंक उत्तीर्णांक के रूप में निर्धारित हैं।

पार्ट– II

(A). शारीरिक माप तौल

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 18 के पार्ट –2 एवं पार्ट –2 के उप नियम (i)(ii)(iii) के प्रावधानानुसार शारीरिक माप तौल निम्नानुसार होना चाहिये –

पुरुष अभ्यर्थी	*ऊँचाई*	*न्यूनतम 168 सेमी.*
	सीना	*बिना फुलाए 81 सेमी. फुलाने पर 86 सेमी.*
(सीने का कम से कम फुलाव 5 सेमी.)		

महिला अभ्यर्थी	*ऊँचाई*	*न्यूनतम 152 सेमी.*
	वजन	*न्यूनतम 47.5 किग्रा*

नोट– उपरोक्त वर्णित मानदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 सेमी. तक की छूट देय है। गढवाली, गोरखा एवं पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों की ऊँचाई 158 सेमी. से कम नहीं होनी चाहिए।

(B). शारीरिक दक्षता परीक्षा

निर्धारित शारीरिक मानदण्डों के अनुरूप पाये गये अभ्यर्थियों की राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 28 के प्रावधानानुसार शारीरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जायेगी जो निम्नानुसार होगी –

	परीक्षा	निर्धारित समय
पुरुष अभ्यर्थी	10 कि.मी. दौड़	अधिकतम 60 मिनट में
महिला अभ्यर्थी	5 कि.मी. दौड़	अधिकतम 35 मिनट में

उक्त परीक्षा हेतु एक अवसर ही देय होगा।

भूतपूर्व सैनिक शारीरिक दक्षता परीक्षा से मुक्त रहेंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाईंग नेचर *(Qualifying Nature)* की होगी।

पार्ट– III

(A) चयन सूची

चयन समिति द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में वरीयतानुसार प्राप्त अंको के आधार पर वर्गवार चयन सूची तैयार की जायेगी। चयन समिति विज्ञापित रिक्त पदों के अधिकतम 50% की सीमा तक पात्र अभ्यर्थियों के नाम की आरक्षित सूची तैयार करेगी, जो छः माह तक के लिये वैध होगी।

(B) चिकित्सकीय परीक्षण

चयन सूची में समिल्लित किये गये अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया जायेगा। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 18 के पार्ट–2 के नियम (iv) के प्रावधानानुसार अभ्यर्थी की दृष्टि निम्नानुसार होनी चाहिये –

टूक शक्ति	बिना चश्मे के		चश्मे सहित	
	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि
दूर की	6/6	6/60	6/6	6/13
निकट की	जे 5	जे 5	जे 1	जे 1

टिप्पणी–(1) निकट दृष्टि 5 डी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) मौलिक रंगों में विभेद न कर पाना और/या रात्रि का अन्धापन (रतौंधी) यदि हो तो अनर्हता समझी जावेगी।

(3) किसी भी रूप में स्पष्ट भैंगापन होने से अभ्यर्थी अनर्ह हो जायेगा।

(C) नियुक्ति

चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों से चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरवाया जाकर संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र सत्यापन करवाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों का संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड इत्यादि से सत्यापन करवाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज व चरित्र सत्यापन सही पाये जाने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जायेगी। नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान अपात्र पाये गये अभ्यर्थी के स्थान पर नियमानुसार आरक्षित सूची में से पात्र अभ्यर्थी का चिकित्सकीय परीक्षण, चरित्र सत्यापन व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाकर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर